क़ीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ-37, अंक - 12 | जून 16-30, 2023 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ-8

मणिपुर में क्या समस्या है और इसे कौन पैदा कर रहा है?

मई के पहले हफ्ते से मणिपुर को दहला देने वाली हिंसा को समाचार माध्यमों में "दंगा" बताया जा रहा है। यह सरासर ग़लत सूचना है।

यह दंगा नहीं है

दंगे का मतलब है कि लोगों की भीड़ स्वतः स्फूर्त हिंसा पर उतर आई है। लेकिन, इस समय मणिपुर में जो हिंसक घटनाएं हुई हैं और हो रही हैं, वे स्वतः स्फूर्त नहीं हैं। उन्हें बहुत ही सुनियोजित तरीक़े से अंजाम दिया गया है। हिंसा में शामिल सशस्त्र गिरोहों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मास्क पहना था। पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रही और हमलों को होने दिया।

जब भी हमारे देश में किसी समूह को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, तब सरकार इन्हें दंगों का नाम देती है, जिनके लिए लोगों को दोषी ठहराती है। मिसाल के तौर पर, जब दिल्ली में नवंबर 1984 में जनसंहार हुआ था तो सरकार ने यह प्रचार किया था कि हिंदू और सिख एक-दूसरे का क़त्ल कर रहे हैं। परन्तु, हक़ीक़त इससे बिलकुल अलग थी।

कांग्रेस पार्टी की केंद्र सरकार ने सिखों पर हमला करने के लिए विभिन्न गिरोहों को लामबंध किया था। सिखों के घरों की पहचान करने के लिए क़ातिलाना गिरोहों को मतदाता सूची दी गई थी। सिखों के जनसंहार को जायज़ ठहराने के लिए पुलिस और खुफ़िया एजेंसियों ने खूब सारी झूठी अफ़वाहें फैलायी थीं जैसे कि "सिखों ने दिल्ली के पानी में ज़हर मिला दिया है", आदि। इस तरह जनता में उन्माद फैलाया गया था। दिल्ली में कई हिंदू परिवारों ने अपने सिख पड़ोसियों की रक्षा की थी, उन्हें अपने घरों में आश्रय दिया था। इन बातों से अब सभी वाकिफ़ हैं। लेकिन, सरकारी रिकॉर्ड में उस जनसंहार को अभी भी "सिख विरोधी दंगे" कहा जाता है।

जब भी हमारे देश में किसी समूह को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, तब सरकार इन्हें दंगों का नाम देती है, जिनके लिए लोगों को दोषी ठहराती है। मिसाल के तौर पर, जब दिल्ली में नवंबर 1984 में जनसंहार हुआ था तो सरकार ने यह प्रचार किया था कि हिंदू और सिख एक-दूसरे का क़त्ल कर रहे हैं। परन्तु, हक़ीक़त इससे बिलकुल अलग थी।

इसी तरह, 2002 के गुजरात नरसंहार को भी "दंगे" कहा जाता है, इस हक़ीक़त को छिपाने के लिए कि वह सत्ता में बैठे लोगों द्वारा किया गया एक सुनियोजित अपराध था। फरवरी 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली में राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा को भी "दंगे" कहा जाता है।

"दंगे" शब्द का प्रयोग, हुक्मरान वर्ग, उसके नेताओं और राजनीतिक पार्टियों द्वारा किए गए अपराधों के लिए आम लोगों को दोषी ठहराने का एक सोचा-समझा प्रयास है।

मणिपुर के मामले में, दंगा शब्द का प्रयोग और भी चौंकाने वाला है, क्योंकि मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहां सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (आफ़स्पा) लागू है। यह क़ानून सेना और अर्धसैनिक बलों को लोगों पर गोली चलाने और मात्र शक के आधार पर हत्या करने का अधिकार देता है। 5 मई को केंद्र सरकार ने शांति बहाल करने के नाम पर, मणिपुर में हजारों और सैनिकों को भेजा। परन्तु इसके बावजूद, आगजनी और लूटपाट जारी है। हथियारबंद गिरोहों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर, वाहनों को लूटते और यात्रियों की पहचान की जांच करते देखा गया है। सत्ता में बैठे लोगों के समर्थन के बिना कोई भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता है।

ऐसे कई जिले हैं जो शांतिपूर्ण रहे हैं, जैसे कि वे क्षेत्र जहां नगा लोगों के संगठनों का जन समर्थन है। ऐसे संगठनों ने घोषणा की है कि कोई भी वाहनों को रोकने और यात्रियों की पहचान की जांच करने की हिम्मत नहीं कर सकता। यदि जन संगठन यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके क्षेत्र हिंसा-मुक्त रहें, तो सवाल उठता है कि केंद्रीय और मणिपुर की सरकारें इतनी

शेष पृष्ठ 2 पर

ओडिशा में रेलगाड़ियों की भयानक टक्कर की सी.बी.आई. जांच :

सरकार की ज़िम्मेदारी पर पर्दा डालने की कोशिश

पिछले बीस वर्षों में हुई इस सबसे बड़ी रेल दुर्घटना के तुरंत बाद, सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) को यह जांच करने का आदेश दिया है कि क्या यह दुर्घटना किसी सोची-समझी साज़िश का नतीजा थी।

दुर्घटना के एक दिन बाद, 3 जून को रेल मंत्री ने घोषणा की कि वह जानते हैं कि इस हादसे के लिए कौन ज़िम्मेदार है। उन्होंने इस ओर इशारा किया कि दुर्घटना एक मानव निर्मित आपदा थी, संभवतः जानबूझकर नुक़सान पहुंचाने का एक कार्य।

एक साज़िश की तरह इसकी जांच करने का काम सी.बी.आई. को सौंपने का एकमात्र उद्देश्य है कि अधिकारियों द्वारा रेल सुरक्षा की आपराधिक उपेक्षा से जनता का ध्यान हटाया जा सके।

रेल मज़दूरों की यूनियनों के साथ-साथ, कई अधिकारियों ने बार-बार इस ओर इशारा किया है कि रेल सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हिन्दोस्तान के महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) की पिछले साल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे के बुनियादी रखरखाव पर होने वाला खर्च 2017 से कम हो गया है, जिससे सुरक्षा में गंभीर चूक हुई है। 2012 में रेलवे सुरक्षा पर काकोदकर कमेटी ने बताया था कि

रेलवे की सुरक्षा में सुधार के लिए अगले कुछ वर्षों में कम से कम 1 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की ज़रूरत है। लेकिन उस कमेटी की सिफ़ारिश को नज़रंदाज़ कर दिया गया।

टक्करों से सुरक्षा के लिए तंत्र मौजूद नहीं हैं

रेल मंत्रालय विज्ञापन देता रहा है कि वह दो रेलगाड़ियों के बीच की टक्कर को रोकने के लिए रेलगाड़ियों में 'कवच' नामक एक टक्कर रोधी प्रणाली स्थापित कर रहा है। हालांकि, देश की 97 फ़ीसदी रेलगाड़ियों में अभी इसे लागू किया जाना बाकी है। हादसे का शिकार हुईं उन सुपरफास्ट रेलगाड़ियों में यह सिस्टम नहीं था।

सिग्नल प्रणाली की ख़राबी कई वर्षों से रेलवे के लिए एक गंभीर मुद्दा रही है। रेल चालाकों की यूनियनों ने ख़राब सिग्नल के मुद्दे पर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया है। समस्या का पैमाना इस तथ्य से स्पष्ट होता कि एक वर्ष में 51,238 बार सिग्नल फेल होने की सूचना मिली है!

भारतीय रेल में ब्लॉक प्रूविंग एक्सल काउंटर सिस्टम है। यह प्रणाली इसलिए है कि उस सेक्शन पर दूसरी रेलगाड़ी को अनुमति देने से पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि वह पटरी खाली है। इसका उद्देश्य है मानवीय ग़लतियों को दूर करना और स्टेशनों के बीच रेलगाड़ियों की सुरक्षित आवाजाही को सुनिश्चित करना। भारतीय रेल इस प्रणाली को विभिन्न निजी कंपनियों से ख़रीद रहा है। हालांकि, ऐसी रिपोर्टें हैं कि आपूर्ति किए गए पुर्ज़े ख़राब गुणवत्ता के हैं, जिसके कारण यह प्रणाली ख़राब हो गई है।

9 फरवरी, 2023 को दक्षिण पश्चिम रेलवे के प्रधान प्रमुख संचालन अधिकारी

शेष पृष्ठ 5 पर

अंदर पढ़ें

- पहलवानों के साथ मज़दूरों और महिलाओं के संगठन 3
- 'महिला आन्दोलन के सामने चुनौतियों' पर गोष्ठी 3
- यौन उत्पीड़न के ख़िलाफ़ संगठनों द्वारा सामूहिक बयान 4
- पाठकों की प्रतिक्रिया 4
- अमरीकी डॉलर की दादागिरी 6
- अमरीका-मैक्सिको सीमा पर प्रवासियों पर आपराधिक हमले 7

मणिपुर में क्या समस्या है और ...

पृष्ठ 1 का शेष

बड़ी संख्या में सशस्त्र बलों और पुलिस के सहारे भी, इंफाल और अन्य क्षेत्रों में हिंसा को रोकने में कैसे असमर्थ हैं?

मणिपुर के लोग, जिनमें घाटी और पहाड़ी दोनों के लोग शामिल हैं, कई सदियों से मिलजुलकर, शांतिपूर्वक एक साथ रह रहे हैं। उन्होंने मणिपुरी होने के नाते, अपने सांझे अधिकारों के लिए एकजुट होकर संघर्ष किये हैं।

इंफाल, चुरचंदपुर, मोरेह और अन्य जगहों के हिंसा प्रभावित जिलों में दिल दहलाने वाले कई हादसों वाली घटनाओं की ख़बरें मिली हैं – जिनमें एक समुदाय के लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर, दूसरे समुदाय के लोगों की रक्षा की है।

सत्ता में बैठे लोगों ने जानबूझकर मैतेई और कुकी समुदायों के बीच तनाव पैदा किया है। उन्होंने लोगों के बीच आपसी दुश्मनी की भावनाओं को पैदा करने के लिए, सोशल मीडिया के ज़रिये झूठे प्रचार फैलाये। 3 मई की रात को, चुरचंदपुर और मोरेह में मैतेइयों को निशाना बनाकर हमले किए गए। अगली सुबह, हथियारबंद गिरोह इंफाल में रहने वाले कुकी लोगों को जलाने, उनके घरों को लूटने और उन्हें मारने के लिए पहुंच गए, पिछली रात की घटनाओं के लिए तथाकथित "बदला" लेने के लिए। आंखों देखा हाल बताने वाले लोग इस बात की पुष्टि करते हैं कि क़ातिलाना गिरोह कहीं बाहर से आये हुए लोग थे, जिन्हें वहां के निवासी जानते–पहचानते नहीं थे।

मणिपुर की मौजूदा स्थिति के लिए हुक्मरान दोषी हैं, न कि जनता। तबाही और हिंसा के लिए न तो कुकी और न ही मैतेई लोग ज़िम्मेदार हैं। इसके विपरीत, वे इस हिंसा के शिकार हैं। मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा सत्ता में बैठे लोगों द्वारा सुरक्षा बलों, अदालतों और राज्य तंत्र के अन्य अंगों की सहायता से किया गया अपराध है। यह राजकीय आतंकवाद है। यह हिन्दोस्तानी हुक्मरान वर्ग की फूट डालो और राज करो की रणनीति का परिणाम है।

फूट डालो और राज करो

हिन्दोस्तान पर पूंजीपति वर्ग का शासन है, जो आबादी का एक छोटा सा हिस्सा है। इस वर्ग की अगुवाई करने वाले लगभग 150 इजारेदार पूंजीपति हैं। पूंजीपति हिन्दोस्तान में बसे हुए सभी लोगों की भूमि, श्रम और प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करके खुद को समृद्ध करते हैं। देशभर के मज़दूर, किसान और आदिवासी लोग इस नाजायज़, शोषक और दमनकारी व्यवस्था के ख़िलाफ़ अपने अधिकारों की मांग को लेकर, संघर्ष करते रहते हैं। हुक्मरान वर्ग लोगों को बांटकर और दबाकर, रखने के लिए धर्म, जाति, राष्ट्रीयता या आदिवासी पहचान के आधार पर, मेहनतकश लोगों के बीच लगातार दुश्मनी और आपसी झगड़े उकसाता रहता है।

लोगों की असली समस्याओं का फ़ायदा उठाकर, हुक्मरान एक तबके के लोगों को दूसरे तबके के ख़िलाफ़ भिड़ा देते हैं। वे एक तबके के लोगों को दूसरे तबके की समस्याओं के लिए दोषी ठहराते हैं। इस तरह वे एक तीर से दो शिकार करते हैं। सबसे पहले, वे यह सुनिश्चित करते हैं कि लोग अपनी समस्याओं के असली स्रोत को न पहचान सकें, जो कि शोषण की पूंजीवादी व्यवस्था है और इस व्यवस्था की हिफ़ाज़त करने वाला हिन्दोस्तानी राज्य है। दूसरा, लोगों को एक–दूसरे के ख़िलाफ़ भिड़ाकर, हुक्मरान हमारी एकता को तोड़ते हैं और हमारी समस्याओं को हल करने के लिए हमारे अपने सांझे संघर्ष को कमज़ोर करते हैं। हिन्दोस्तान के सभी लोग हुक्मरान पूंजीपति वर्ग की इस रणनीति का शिकार हुए हैं।

मणिपुर के नौजवान अपनी प्रतिभा, कड़ी मेहनत करने की क्षमता और ज्ञान हासिल करने की प्यास के मामले में किसी से पीछे नहीं हैं। परन्तु, मणिपुर में उच्च और तकनीकी शिक्षा के पर्याप्त संस्थान स्थापित नहीं किए गए हैं। न ही नौजवानों के लिए रोज़गार के पर्याप्त अवसर हैं। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने या नौकरी की तलाश में देश के दूर–दराज़ के क्षेत्रों में जाने को मजबूर होना पड़ता है।

यह अधिकतम नौजवानों को प्रभावित करने वाली समस्या है, चाहे वे पहाड़ी इलाकों के लोग हों या घाटी के लोग। मगर हुक्मरान वर्ग जानबूझकर प्रचार करता है कि पहाड़ी लोगों को लाभ हुआ है और कथित तौर पर अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षण के कारण घाटी के लोगों के साथ भेदभाव किया गया है।

पिछले कुछ वर्षों में, म्यांमार की सेना द्वारा शुरू किए गए दमन के कारण लाखों–लाखों शरणार्थी म्यांमार से मणिपुर में आ गए हैं। इनमें से कई शरणार्थी मणिपुर के पहाड़ी लोगों के साथ नज़दीकी से जुड़े हुए हैं। इन शरणार्थियों की मानवीय ज़रूरतों का ध्यान रखना हिन्दोस्तानी राज्य की ज़िम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बजाय, हिन्दोस्तान की सरकार ने इन तमाम शरणार्थियों का इस्तेमाल करके, अलग–अलग तबकों के लोगों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ भिड़ाने का काम किया है।

हिन्दोस्तान के संविधान का अनुच्छेद 371–सी राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों पर मणिपुर विधानसभा की शक्ति को सीमित करता है। यह अनुच्छेद केंद्र सरकार को इन क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में मणिपुर सरकार को निर्देश देने की शक्ति देता है। यह प्रावधान पहाड़ी क्षेत्रों के संबंध में, मणिपुर की राज्य सरकार को दरकिनार करने में केंद्र सरकार को सक्षम बनाता है। केंद्र सरकार ने बार–बार इस प्रावधान का इस्तेमाल करके, घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के बीच की खाई को गहरा करने का काम किया है।

हुक्मरान वर्ग के बंटवारा–कारी और अपराधी तरीक़ों के बावजूद, मणिपुर के लोग एकजुट होकर, अपने सांझे हितों के लिए संघर्ष करते रहे हैं। अपने राष्ट्रीय अधिकारों की हिफ़ाज़त में और सैनिक शासन के ख़िलाफ़ एकजुट संघर्ष का उनका लंबा इतिहास रहा है।

लोगों की असली समस्याओं का फ़ायदा उठाकर, हुक्मरान एक तबके के लोगों को दूसरे तबके के ख़िलाफ़ भिड़ा देते हैं। ... इस तरह वे एक तीर से दो शिकार करते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि लोग अपनी समस्याओं के असली स्रोत को न पहचान सकें, जो कि शोषण की पूंजीवादी व्यवस्था और इस व्यवस्था की हिफ़ाज़त करने वाला हिन्दोस्तानी राज्य है। लोगों को एक–दूसरे के ख़िलाफ़ भिड़ाकर, हुक्मरान हमारी एकता को तोड़ते हैं और हमारी समस्याओं को हल करने के लिए हमारे अपने सांझे संघर्ष को कमज़ोर करते हैं।

सैनिक शासन और आफ़्स्पा

मणिपुर में 1950 के दशक से सैनिक शासन लागू है। शुरू में, सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (आफ़्स्पा) मणिपुर के नगा बसावट वाले क्षेत्रों में लागू था। इसे 18 सितंबर, 1981 को पूरे राज्य पर लागू कर दिया गया था।

आफ़्स्पा को उसी तरह के अधिनियम के रूप में बनाया गया है, जिसे ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासकों ने 1942 में उपनिवेशवाद–विरोधी संघर्ष के बढ़ते ज्वार को कुचलने के लिए लागू किया था। हिन्दोस्तान को आज़ादी मिलने के बाद, नगा लोगों के आत्मनिर्धारण के संघर्ष को कुचलने के लिए आफ़्स्पा को लागू किया गया था। इसका इस्तेमाल पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों में रहने वाले सभी लोगों के साथ–साथ, जम्मू–कश्मीर के लोगों के ख़िलाफ़ भी किया गया है।

आफ़्स्पा एक क्रूर अधिनियम है जो सशस्त्र बलों को शक मात्र के आधार पर लोगों को मारने, अपहरण करने, गिरफ़्तार करने और प्रताड़ित करने, उनके घरों पर छापा मारने और तलाशी लेने का अधिकार देता है। लोगों पर किये गए अपराधों के लिए, सशस्त्र बलों के सिपाहियों पर, किसी भी अदालत में मुक़दमा नहीं चलाया जा सकता है।

मणिपुर में सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए लोगों के परिजनों के एक समूह, एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल एक्ज़ीक्यूशन विक्टिम फेमिलीज़ एसोसियेशन, द्वारा 2012 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। उस याचिका में 1970 के दशक के बाद से 1,528 फ़र्ज़ी मुठभेड़ हत्याओं के सबूत के दस्तावेज़ पेश किये गए थे। याचिका में बताया गया था कि इनमें से किसी भी मामले में, सेना के अपराधी जवानों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

उस याचिका के जवाब में, सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई, 2016 को फ़ैसला सुनाया था कि "अशांत क्षेत्र" घोषित किए जाने वाले इलाके में भी "आपराधिक अदालत में मुक़दमे से संपूर्ण बचाव की कोई अवधारणा नहीं है"। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया था कि "मणिपुर के अशांत क्षेत्र सहित, सशस्त्र बलों के हाथों होने वाली हर मौत की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए, अगर कोई शिकायत या ग़लत इस्तेमाल या सत्ता के दुरुपयोग का आरोप है।"

12 अप्रैल, 2017 को हिन्दोस्तान की सरकार ने इस फ़ैसले पर, एक उपचारात्मक याचिका दायर की, जिसमें 8 जुलाई, 2016 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वापस लेने की मांग की गई। हिन्दोस्तान की सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अटॉर्नी जनरल ने यह तर्क दिया कि उस आदेश को लागू करना सशस्त्र बलों के मनोबल के लिए "हानिकारक होगा"। उन्होंने यह कहते हुए एक याचिका प्रस्तुत की कि मणिपुर में युद्ध जैसी स्थिति है और "ऐसी स्थिति में सशस्त्र बलों द्वारा लिए गए किसी भी क़दम पर अदालती जांच नहीं हो सकती।"

यह मणिपुर के लोगों के प्रति हिन्दोस्तानी हुक्मरान वर्ग के कपट और अवमानना को दर्शाता है। केंद्रीय राज्य "सशस्त्र बलों के मनोबल" को बनाए रखने के नाम पर सशस्त्र बलों द्वारा बेक़सूर लोगों के बलात्कार, उत्पीड़न और हत्या को क़ानूनी रूप से जायज़ ठहराता है। यह साफ़–साफ़ राजकीय आतंकवाद है, लोकतांत्रिक अधिकारों और मानवाधिकारों का घोर हनन है।

मणिपुर में सभी लोग आफ़्स्पा और सशस्त्र बलों के आतंकी, शासन के ख़िलाफ़ एक लंबा संघर्ष कर रहे हैं। उनके इस लगातार और एकजुट संघर्ष की वजह से ही अगस्त 2004 में हिन्दोस्तान की सरकार को मणिपुर की राजधानी इम्फाल के कुछ क्षेत्रों से आफ़्स्पा को वापस लेने को मजबूर होना पड़ा था।

सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया था कि "मणिपुर के अशांत क्षेत्र सहित, सशस्त्र बलों के हाथों होने वाली हर मौत की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए, अगर कोई शिकायत या ग़लत इस्तेमाल या सत्ता के दुरुपयोग का आरोप है।" ... हिन्दोस्तान की सरकार ने इस फ़ैसले पर, एक उपचारात्मक याचिका दायर की, जिसमें 8 जुलाई, 2016 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वापस लेने की मांग की गई। हिन्दोस्तान की सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अटॉर्नी जनरल ने यह तर्क दिया कि उस आदेश को लागू करना सशस्त्र बलों के मनोबल के लिए "हानिकारक होगा।"। मणिपुर में युद्ध जैसी स्थिति है और "ऐसी स्थिति में सशस्त्र बलों द्वारा लिए गए किसी भी क़दम पर अदालती जांच नहीं हो सकती है।"

असली उद्देश्य

इस समय, मणिपुर में बड़े पैमाने पर अराजकता और हिंसा फ़ैलाने के पीछे असली उद्देश्य है मणिपुर में सैनिक शासन और आफ़्स्पा को जारी रखने का बहाना बनाना।

40 से अधिक वर्षों के लिए, वहां सैनिक शासन को जायज़ ठहराने के लिए यह कहा गया है कि सशस्त्र विद्रोहियों और अलगाववादियों से निपटने के लिए इसकी आवश्यकता है। इस प्रचार पर अब वहां के लोग बिलकुल यक़ीन नहीं कर रहे हैं। लोगों को साफ़–साफ़ दिखता है कि इनमें से कई गिरोह हिन्दोस्तानी राज्य की खुफ़िया एजेंसियों की सांठ–गांठ में काम करते हैं।

हिन्दोस्तानी सेना और विभिन्न सशस्त्र गिरोह, दोनों उन्हीं लोगों पर दमन और आतंक फ़ैलाते हैं, जिनकी रक्षा करने का वे

शेष पृष्ठ 8 पर

प्रदर्शनकारी पहलवानों के साथ हो रहे अन्याय के विरोध में मज़दूरों और महिलाओं के संगठनों ने जनसभा की

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट

1 जून को दिल्ली की ट्रेड यूनियनों व मज़दूर संगठनों ने महिला संगठनों के साथ मिलकर, संसद मार्ग पर एक सभा की। जिसमें बड़ी संख्या में नौजवान और छात्र शामिल हुए।

इस सभा का आयोजन, विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के साथ एकजुटता व्यक्त करने और उन पर राज्य द्वारा की गई हिंसा की निंदा करने के लिए किया गया था। 28 मई को विरोध प्रदर्शन करने वाले पहलवानों को विरोध स्थल पर बेरहमी से घसीटा गया और पीटा गया, उन्हें जबरन पुलिस वैन में भरकर, शहर के दूरदराज़ के विभिन्न पुलिस थानों में बंद कर दिया गया। उन्हें अलग–थलग करने, डराने और उनका मनोबल तोड़ने के इरादे से ऐसा किया गया था।

सभा को प्रतिबंधित करने के लिये पुलिस ने भारी बेरिकेड लगाकर बेहद सीमित क्षेत्र में समेट दिया। पहले तो पुलिस ने सभा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, लेकिन वहां उपस्थित

सैकड़ों लोगों के गुस्से और दृढ़ संकल्प ने एक सफल और साहसपूर्ण सभा का आयोजन सुनिश्चित किया।

प्रदर्शनकारियों ने बहादुरी से नारे लगाए – "संघर्षरत महिला पहलवानों पर हो रहे हमले मुर्दाबाद!", "महिला पहलवानों के लिये न्याय के संघर्ष के समर्थन में एकजुट हों!", "महिलाओं पर हिंसा मुर्दाबाद!", "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर रोक लगाओ!", "हमारी रोज़ी–रोटी और अधिकारों पर हमले मुर्दाबाद!", तथा इसी तरह के और भी नारे थे। उन्होंने और भी नारों के बैनर और प्लेकार्ड लिए हुए थे।

सभा में मांग की गई कि महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपी भाजपा सांसद की तत्काल गिरफ़्तारी की जाये और उस पर मुक़दमा चलाया जाये। 28 मई को जंतर–मंतर पर कर्फ़्यू जैसी स्थिति बनाये जाने की कड़ी निंदा भी की गई। प्रदर्शनकारी पहलवानों और कई कार्यकर्ताओं के बचाव में होने वाली "महिला सम्मान महापंचायत" में मज़दूरों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों के संगठनों को शामिल होने से रोका गया तथा उन्हें कई घंटे तक पुलिस की हिरासत में रखा गया। इस सभा को रोकने के राज्य के प्रयासों की भी निंदा की गई।

कार्यस्थल पर और समाज में महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न और हिंसा के ख़िलाफ़ सभा में एक जुझारू आवाज़ बुलंद की गई।

सभा को संबोधित करने वाले प्रतिभागी संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिन्दोस्तानी राज्य द्वारा मज़दूरों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों की आजीविका और अधिकारों पर हो रहे चौतरफा हमलों की

शेष पृष्ठ 4 पर

एन.एफ.आई.डब्ल्यू. की 70वीं सालगिरह के अवसर पर :

'महिला आन्दोलन के सामने चुनौतियां' के विषय पर गोष्ठी

पुरोगामी महिला संगठन के संवाददाता की रिपोर्ट

एन.एफ़.आई.डब्ल्यू. (भारतीय महिला फेडेरशन) ने हाल में अपनी 70वीं सालगिरह मनायी। इस अवसर पर एक राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित की गयी थी, जिसका विषय था – 'बलात्कारियों की रिहाई से पहलवानों के संघर्ष तक : महिला आन्दोलन के सामने चुनौतियां'।

देश के अलग–अलग भागों से बड़ी तादाद में महिलाओं ने इसमें बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इसमें अनेक महिला संगठनों – एडवा, पुरोगामी महिला संगठन, आल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन, जॉइंट विमेंस प्रोग्राम – और कई अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया तथा इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार पेश किये।

पुरोगामी महिला संगठन के प्रतिनिधि द्वारा गोष्ठी में पेश किये गए विचारों को यहां प्रकाशित किया जा रहा है।

मेरी प्यारी बहनों और साथियों,

एन.एफ़.आई.डब्ल्यू. को बहुत–बहुत बधाई, कि वह इतने सालों से इस देश की महिलाओं को पूंजीवादी शोषण, सामंती रिवाज़ों, पितृसत्तावादी शोषण और हर प्रकार के शोषण–दमन के ख़िलाफ़ लामबंध करता आया है।

आज हमारे पहलवानों का संघर्ष इस देश की महिलाओं की आवाज़ के रूप में आगे आ रहा है – यह हमें बहुत कुछ बता रहा है।

पहला कि महिलाओं पर हिंसा, यौन शोषण – यह इस समाज के कोने–कोने में, जीवन के हर पहलू में कितनी गहराई से बसी हुयी, एक हक़ीक़त है।

दूसरा, कि धनवान लोगों, बड़े–बड़े पूंजीपतियों, सत्ता में बैठे, ऊंचे पदों पर बैठे, आधिकारिक स्थानों पर बैठे लोगों द्वारा अपने रुतबे का फ़ायदा उठाकर महिलाओं का यौन उत्पीड़न करना, यह हमारे समाज में एक सामान्य बात है।

तीसरा, हमारी रक्षा करने के नाम से बनाये गए संस्थान हमारी रक्षा नहीं करते, बल्कि धनवानों, सत्ता पर बैठे लोगों की ही रक्षा करते हैं।

चौथा, कि अदालत से भी हमें इंसाफ़ नहीं मिलता – बिलकिस बानो का दर्दनाक किस्सा, इंसाफ़ के लिए उसका कठिन संघर्ष और अदालत द्वारा गुनहगारों की रिहाई – यह चीख–चीख कर हमें यही कह रहा है।

पांचवा, जिन्हें हम चुनकर अपने प्रतिनिधि बतौर विधान सभा और संसद में भेजते हैं, वे ही हमारे ख़िलाफ़ काम करते हैं और हम उनके ख़िलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। उनसे जवाब नहीं मांग सकते। उन्हें वापस नहीं बुला सकते। उम्मीदवारों का चयन भी नहीं कर सकते, न अपने हित में क़ानून बना सकते हैं और न ही किसी क़ानून को अपने हित में बदल सकते हैं। किसान–विरोधी क़ानून, चार लेबर कोड, वन–आदिवासी अधिकार क़ानून, भूमि अधिग्रहण क़ानून – ये सब हमारे हितों का सरासर हनन हैं और इन्हें रद्द करवाने के लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। फिर, नोटबंदी, जी.एस.टी., इन पर किसी संसद या विधान सभा में चर्चा करके फ़ैसले नहीं लिए गए। यानि कोई भी नीतिगत फ़ैसला लेने के लिए हमारे पास कोई ताक़त नहीं है। यह ताक़त तो सिर्फ़ सरकार के मंत्रिमंडल के ही पास है।

और ये सब इस व्यवस्था के अन्दर सामान्य घटनाएं हैं – इस या उस राजनीतिक पार्टी की सरकार केंद्र में, किसी राज्य में आयी, लेकिन इन हालातों में कोई बदलाव नहीं आया।

राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक क़त्लेआमों में जो महिलाएं बलात्कार और यौन उत्पीड़न का शिकार बनीं, उन्हें आज तक इंसाफ़ नहीं मिला, बलात्कारियों को आज तक सज़ा नहीं मिली, चाहे यह 1984 में सिखों के क़त्लेआम में, 1992 में बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद हुए क़त्लेआम में, 2002 में गुजरात के क़त्लेआम में, या फिर 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली के क़त्लेआम में – और इन सबमें अलग–अलग पार्टियों की सरकारें केंद्र में और राज्यों में बरक़रार रही हैं।

कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा के बारे में इतने सालों से संघर्ष करके हम महिलाओं ने जो–जो शर्तें क़ानून में डालवाने की कोशिशें कीं, उसके बावजूद, आज भी अधिकांश पीड़ित महिलाओं और बच्चियों को यौन उत्पीड़न से छुटकारा नहीं मिला है। उन शर्तों को – मसलन, हर संस्था में यौन उत्पीड़न पर अंदरूनी शिकायत कमेटी का होना – हर पीड़ित महिला को सुनिश्चित करने के लिए न तो उस समय की सरकार ने कोई क़दम लिया, न उसके बाद आई किसी सरकार ने।

तो साफ़ है कि यह समस्या इस या उस सरकार को चुनकर लाने से हल नहीं होने वाली है। यह भी साफ़ है कि महिलाओं पर शोषण सभी मेहनतकशों पर पूंजीवादी शोषण का ही एक हिस्सा है। महिलाओं का यौन शोषण, महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन न मिलना, इनसे सभी मज़दूरों को दबाया और कम वेतन पर, असुरक्षित हालतों में काम करने को मज़बूर किया जाता है।

तो इससे मुक्ति पाने की आकांक्षा के साथ आज देश की महिलाएं आगे आ रही हैं, पहलवानों के समर्थन में संघर्ष के ज़रिये अपने इस सारे दुःख–दर्द को प्रकट कर रही हैं।

इससे मुक्ति पाने के लिए हम आज किसी दूसरी, पूंजीपतियों की विश्वसनीय पार्टी जो इसी पूंजीवादी शोषण–दमन की व्यवस्था को चलायेगी – उस पर भरोसा नहीं कर सकते। हम उसी कुचक्र में नहीं फंस सकते, जिसमें अब तक बार–बार फंसते आये हैं।

जब तक बड़े–बड़े इजारेदार पूंजीपति पैदावार के मुख्य साधनों के मालिक बने रहेंगे, और उन्हीं के करोड़ों रुपयों पर पली हुयी पार्टियों की सरकार होगी, वह सरकार उन्हीं की सेवा में काम करेगी। वह सरकार इसी व्यवस्था को बरकरार रखेगी जिसमें पूंजीपतियों को फ़ायदा है। और तब तक हम मेहनतकश स्त्री–पुरुषों के हाथ में न तो अर्थव्यवस्था को अपने हित में चलाने की ताक़त होगी और न ही मेहनतकशों के हित में कोई फ़ैसले लेने की ताक़त होगी।

अब वक्त आ गया है, एक नए समाज, एक नयी व्यवस्था के बारे में सोचने और उसके लिए संगठित होने का, मज़दूर, किसान, महिला, नौजवान, आदिवासी, दलित, हर उत्पीड़ित तबके को एकजुट करके, उस नए समाज की ओर लामबंध होने का। एक ऐसा नया समाज, एक ऐसी नयी व्यवस्था, जिसमें इस देश की दौलत को पैदा करने वाले मेहनतकश स्त्री–पुरुष इसके मालिक होंगे। तब हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों पर नियंत्रण कर पाएंगे और यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि सत्ता के सभी संस्थान सबसे पहले मेहनतकश स्त्री–पुरुष के अधिकारों को सुनिश्चित करें। तब हम अर्थव्यवस्था को लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में चला सकेंगे, न कि चंद पूंजीवादी मुनाफ़ाखोरों की लालच को पूरे करने की दिशा में। तब हम फ़ैसले ले सकेंगे और लागू कर सकेंगे, मेहनतकश स्त्री–पुरुष के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, न कि पूंजीवादी लुटेरों के लिये। और अपने अधिकारों का हनन करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिला सकेंगे, चाहे वे कितने ही ऊंचे पद पर क्यों न हों।

तो आईये बहनों, भाइयों, उस भविष्य को साकार करने के लिए संगठित हों और संघर्ष करें – इस आह्वान के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

http://hindi.cgpi.org/23672

महिलाओं और मानवाधिकार संगठनों द्वारा सामूहिक आह्वान :

आरोपी को माफ़ करने के रिवाज़ को ख़त्म करो और आरोपी बृज भूषण शरण सिंह को तुरंत गिरफ़्तार करो

यौन उत्पीड़न के ख़िलाफ़ न्याय के लिये संघर्ष करने वाले पहलवानों पर राज्य के दमन और पुलिस के अत्याचार की निंदा करते हुए, 6 जून, 2023 को महिलाओं और मानवाधिकार संगठनों द्वारा सामूहिक बयान जारी किया गया

जिस तरह से दिल्ली पुलिस, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सर्वोच्च स्तर पर क़ानून को तोड़ने में क़ामयाबी हासिल की है तथा नाबालिग सहित महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बावजूद भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह को पुलिस की गिरफ़्त से बाहर रखा है, हम अधोहस्ताक्षरी महिला और मानवाधिकार संगठन उसकी निंदा करते हैं।

यह सर्वविदित है कि प्रभावशाली और अच्छी तरह से राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए लोग, जिनमें विधायिका के सदस्य और धर्मगुरु शामिल हैं, गवाहों को डराने–धमकाने सहित विभिन्न तरीक़ों के ज़रिये क़ानून में हेरफेर कर सकते हैं। यौन उत्पीड़न और मारपीट के मामलों में शिकायतकर्ताओं को अक्सर अपने बयान को बदलने के लिए मजबूर किया जाता है। दबाव इतना अधिक होता है कि परिवार वाले घुटने टेक देते हैं और आरोपी बच जाते हैं।

पहलवानों के मामले में नाबालिग के पिता ने सुप्रीम कोर्ट से यह कहते हुये सुरक्षा की गुहार लगाई थी कि बृजभूषण सिंह प्रभावशाली व्यक्ति हैं। लड़की के पिता को यह डर था कि पीड़िता को डराया–धमकाया जायेगा और उस पर दबाव बनाया जाएगा। नाबालिग, जिसने भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354 (ए), 354 (डी)/34 और यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम अधिनियम (पी.ओ.सी.एस.ओ.) के तहत कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी 0077/2023 में मुख्य गवाही दी थी और जिसने मई 2023 में न्यायाधीश के सामने एक शपथपत्र पेश करते हुये बयान भी दिया था।

पी.ओ.सी.एस.ओ. में यह माना जाता है कि अपराध हुआ है, विशेष रूप से जब न्यायाधीश के सामने बयान हो चुका हो, इसलिए गिरफ़्तारी ज़रूरी होती है। चूंकि प्राथमिक गवाह नाबालिग है, इसलिए क़ानून दबाव के प्रति संवेदनशील है। इन कारकों के बावजूद, अभियुक्त बृजभूषण सिंह गिरफ़्तार होने के डर से मुक्त, खुलेआम घूम रहा है। तत्काल गिरफ़्तारी न करने का परिणाम यह हुआ है कि प्राथमिकी दर्ज़ होने के पांच सप्ताह बाद, यह आरोप लगाया जा रहा है कि 2 जून को नाबालिग ने न्यायाधीश के सामने अपने मूल बयान को बदलते हुये दूसरा बयान दिया है।

हमें बहुत स्पष्ट है कि यह अदालत की ज़िम्मेदारी है कि वह स्वतंत्र रूप से जांच की निगरानी करे और एक उचित निष्कर्ष पर पहुंचे। लेकिन, हम यह बताना चाहते हैं कि इस देश में गवाहों की सुरक्षा का कोई क़ानून नहीं है और एक बार फिर आपराधिक न्याय प्रणाली ने न्याय के लिए संघर्ष कर रही हमारी महिलाओं को विफल कर दिया है।

इस बीच, दिल्ली पुलिस को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से जांच जारी रखनी चाहिए और तुरंत बृजभूषण सिंह को गिरफ़्तार करना चाहिए और दूसरी प्राथमिकी 0078/2023, धारा 354, 354 (ए), 354 (डी)/34, सहित मजबूत चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए जिसमें छः महिला पहलवान शिकायतकर्ता हैं।

हम मांग करते हैं कि 28 मई, 2023 को पहलवानों पर की गई क्रूर हिंसा के लिए दिल्ली पुलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। पुलिस ने अत्यधिक बल प्रयोग के साथ विरोध प्रदर्शन को तोड़ दिया, पहलवानों को हिरासत में ले लिया और उन्हें जंतर–मंतर से खदेड़ दिया। उन्हें संसद मार्ग पुलिस स्टेशन की प्राथमिकी संख्या 60/2023 में अपराधियों के रूप में नामित किया जाना जारी है। हम इसके तत्काल निपटारे की मांग करते हैं।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य, हिन्दोस्तान के लिए कई पुरस्कार जीतने वाले पहलवानों की मदद करने के बजाय, उन्हें शारीरिक और भावनात्मक रूप से परेशान कर रहा है, जिसमें आगामी खेल आयोजनों के लिए चयन और भारतीय रेल में उनकी नौकरी से संबंधित ख़तरा भी शामिल है।

यह गहरी पीड़ा का क्षण है कि यौन हिंसा के ख़िलाफ़ क़ानून को मजबूत करने और शिकायतकर्ताओं को न्याय के लिए लड़ने में सक्षम बनाने के पिछले पांच दशकों के न्यायशास्त्र के बावजूद भी, पहलवानों के मामले में हुए घटनाक्रम से हमें यही पता चलता है कि दंड से मुक्ति का चलन कितनी गहराई से अंतर्निहित है तथा भाजपा द्वारा प्रबलित किया गया है।

हम अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं तथा आरोपी बृजभूषण सिंह को भाजपा से मिले समर्थन की निंदा करते हैं, कि उन्हें यूपी के कैसरगंज और अन्य शहरों में आगामी भाजपा रैलियों को संबोधित करने की अनुमति दी जाएगी। इस तरह के सार्वजनिक महिमामंडन और वैधता को अब बंद कर देना चाहिए क्योंकि यह पूरे देश में बलात्कार और यौन हिंसा से लड़ने वाली महिलाओं के लिए विनाशकारी और हतोत्साहित करने वाला होगा।

महिला आंदोलन और अन्य सामाजिक आंदोलन वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ेंगे, इससे पहले कि और गवाहों को धमकाया जाए, जिसकी शुरुआत बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ़्तारी से होनी चाहिए। हमारे पहलवानों के न्याय और सम्मान की लड़ाई उनकी अकेली लड़ाई नहीं है, बल्कि क़ानून के शासन को लागू करने की लड़ाई है।

हस्ताक्षर कर्ता :

आल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमेन्स एसोसिएशन (ए.आई.डी.डब्ल्यू.ए.) से मरियम धावले, आल इंडिया प्रोग्रेसिव वीमेन्स एसोसिएशन (एपवा) से मीना तिवारी, आल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन (ए.आई.एम.एस.एस.) से रितु कौशिक, एक्ट नाउ फ़ॉर हार्मनी एंड डेमोक्रेसी (ए.एन.एच.ए.डी.) से शबनम हाशमी, सेंटर फॉर स्ट्रगलिंग वीमेन (सी.एस.डब्ल्यू.) से माया जॉन, इंडियन क्रिस्चियन वीमेन्स मूवमेंट, दिल्ली (आई.सी.डब्ल्यू.एम.–दिल्ली) से सुषमा रामास्वामी, लॉयर्स कलेक्टिव के सचिव, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन (एन.एफ.आई.डब्ल्यू.) से एनी राजा, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी.यू.सी.एल.) से कविता श्रीवास्तव, प्रगतिशील महिला संगठन से पूनम कौशिक, पुरोगामी महिला संगठन से सुचरिता बीके, सहेली वीमेन्स रिसोर्स सेंटर से वाणी सुब्रमण्यम, यंग वीमेन्स क्रिस्चियन एसोसिएशन से धीया एन. मैथ्यू।

http://hindi.cgpi.org/23685

पाठकों की प्रतिक्रिया

गिग मज़दूरों की समस्याओं पर

संपादक महोदय,

मज़दूर एकता लहर में, गिग मज़दूरों की समस्याओं पर प्रकाशित लेख से हमें साफ़ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि देश के नौजवान किस प्रकार से बेरोज़गारी की समस्या से जूझ रहे हैं। सरकारी और गैर–सरकारी संस्थानों में रोज़गार की कमी के कारण करोड़ों की तादात में नौजवान ऑनलाइन फूड प्लेटफार्मों, ई–कॉमर्स कंपनियों, सामान की डिलीवरी तथा ओला व उबर ड्राइवरों, इत्यादि जैसे काम करने के लिए मजबूर हैं।

किसी भी समाज एवं राष्ट्र की सफलता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि नौजवान पीढ़ी की श्रम शक्ति का इस्तेमाल किस हद तक समाज के विकास और कल्याण से जुड़ा हुआ है। इसके विपरीत आज हम देख सकते हैं कि देश में रोज़गार की लगातार कमी बनाकर रखी गयी है ताकि हमारे नौजवान न्यूनतम वेतन पर, लंबे समय तक, अनियमित रोज़गार और स्वास्थ्य व सुरक्षा की गारंटी के बिना, काम करने के लिए मजबूर हों। नौजवान अमानवीय परिस्थितियों में काम करने और जीने के लिए मजबूर हैं। साफ़ तौर पर दिखाई दे रहा है कि हिन्दोस्तानी और विदेशी पूंजीपति, नौजवानों की श्रम शक्ति का शोषण करके, ज्यादा से ज्यादा बेशी मूल्य हड़प के बेशुमार दौलत इकट्ठी कर रहे हैं। ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बड़े–बड़े पूंजीपति बड़े पैमाने पर मज़दूरों की छंटनी करते हैं और इसकी सफ़ाई में कहते हैं कि उनका मुनाफ़ा कम हो रहा है और इसलिए उन्हें इतने ज्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं है।

देश की क़ानून व्यवस्था लोगों की हिफ़ाज़त के लिए होनी चाहिए, लेकिन इस लेख को पढ़ने के पश्चात यह स्पष्ट हुआ कि यह एक भ्रम है, क्योंकि क़ानून व्यवस्था चंद पूंजीपतियों के हित के लिए ही बनाई गई है और उनके लिए ही काम करती है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि गिग मज़दूरों को यूनियन बनाने का भी अधिकार नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उन्हें बांटकर रखने में ही पूंजीपतियों को फ़ायदा है। दूसरी ओर नियमित मज़दूर को जो क़ानूनी सुविधाएं दी जाती हैं जैसे बीमारी के लिए अवकाश, मातृत्व और शिशु पालन अवकाश, स्वास्थ्य बीमा, ओवरटाइम के लिए अतिरिक्त वेतन, इत्यादि ये सभी क़ानूनी प्रावधान 'गिग मज़दूरों' को उपलब्ध नहीं हैं। पूंजीपति वर्ग यही चाहता है कि देश के नौजवान इन्हीं हालतों में रहें और सदैव चिंतित रहें। गिग इकोनॉमी में पूंजीपति वर्ग मज़दूरों को कम से कम वेतन देकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफ़ा बनाता है।

पूंजीवाद पर आधारित समाज नौजवानों को निराशा के अलावा और कुछ नहीं दे सकता है। यह लाज़मी है कि गिग मज़दूरों को श्रम क़ानूनों के तहत मज़दूर बतौर मान्यता दी जाए।

शालिनी , मुंबई

पहलवानों के साथ हो रहे अन्याय के विरोध में जनसभा

पृष्ठ 3 का शेष

निंदा की। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी संस्थान स्पष्ट रूप से सबसे बड़े इजारेदार पूंजीवादी कारपोरेट घरानों के हितों की रक्षा करते हैं। क़दम–क़दम पर लोगों के अधिकारों और हितों का हनन हो रहा है। विरोध करने के अधिकार को कुचला जा रहा है।

सभा का समापन इस आह्वान के साथ हुआ कि – मौजूदा व्यवस्था में उत्पीड़ितों और शोषितों के सभी तबकों का एकजुट संघर्ष तथा मेहनतकशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक नई व्यवस्था के निर्माण के दृष्टिकोण से किया जाने वाला एकजुट संघर्ष ही – आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।

जिन ट्रेड यूनियनों और मजदूर संगठनों ने सभा का आह्वान किया था, उनमें शामिल थे – मज़दूर एकता कमेटी (एम.ई.सी.), एटक, एच.एम.एस., सीटू, ए.आई.यू.टी.यू.सी., टी.यू.सी.सी., सेवा, ए.आई.सी.सी.टी.यू., एल.पी.एफ., यू.टी.यू.सी., आई.सी.टी.यू. और आई.एफ.टी.यू.।

जिन महिला संगठनों ने संयुक्त रूप से रैली का आह्वान किया था, उनमें शामिल थे – ए.आई.डी.डब्ल्यू.ए., एन.एफ.आई.डब्ल्यू, ए.आई.पी.डब्ल्यू.ए., पुरोगामी महिला संगठन, ए.आई.एम.एस.एस., सहेली, प्रगतिशील महिला संगठन, सी.एस.डब्ल्यू. और आई.सी.डब्ल्यू.एम.।

http://hindi.cgpi.org/23677

सरकार की ज़िम्मेदारी पर पर्दा डालने की कोशिश

पृष्ठ 1 का शेष

ने रेलवे के मुख्यालय को लिखा कि ख़राब सिग्नलिंग उपकरण के कारण मैसूर डिवीजन पर दो रेलगाड़ियों के बीच टक्कर होते–होते बच गई। रेल चालक द्वारा समय पर की गई कार्रवाई से टक्कर टल गई, जिसने ग़लत ग्रीन सिग्नल देखकर रेलगाड़ी को रोक दिया। अधिकारी ने अपने पत्र में कहा है कि 'घटना इंगित करती है कि सिस्टम में गंभीर ख़ामियां हैं ... यह इंटरलॉकिंग के मुख्य काम और बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करती है।' सिग्नल पर रेलगाड़ी के चलने के बाद, पैनल पर ट्रैक के सही दिखने के साथ, डिस्पैच का ट्रैक बदल जाता है। इसका मतलब है कि रेल चालक को लगता है कि वह सही पटरी पर जा रहा है, लेकिन असल में पटरी को बदलकर ग़लत पटरी पर कर दिया गया है।

9 फरवरी के उनके पत्र में यह भी कहा गया है कि "वर्तमान घटना को बहुत गंभीरता से देखा जाना चाहिए और सिस्टम की ख़ामियों को दूर करने के लिए तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है और साथ ही कर्मचारियों को काम में शॉर्टकट न लेने के प्रति संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है, जिसकी वजह से बड़ी दुर्घटना हो सकती है।"

रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा चार महीने से भी कम समय पहले की गई इस शिकायत पर रेल मंत्रालय ने कोई कार्रवाई नहीं की।

रखरखाव में लापरवाही

रेलवे की 15,000 किमी से ज्यादा पटरियां ख़राब हैं और इन्हें तत्काल मरम्मत और नवीनीकरण की आवश्यकता है। हर साल 4,500 किमी की रेल पटरियों के नवीनीकरण का काम बाकी रह जाता है। हर साल लगभग 2,000 किलोमीटर का नवीनीकरण होता है। इस प्रकार, साल–दर–साल ख़राब पटरियों की कुल लंबाई बढ़ रही है।

रेल की पटरियों को इस्तेमाल अधिक से अधिक होता है जिसकी वजह से वे व्यस्त रहती हैं। इस वजह से नियमित रखरखाव के काम को करने के लिए उपलब्ध समय घट रहा है। मज़दूरों की कमी के कारण पटरियों के निरीक्षण में 30 प्रतिशत से 100 प्रतिशत की कमी है।

ऐसी ख़राब और ख़तरनाक पटरियों पर हर रोज़ और हर घंटे तेज़ गति से रेलगाड़ियां दौड़ रही हैं, जिससे हजारों यात्रियों और रेलकर्मियों के जीवन ख़तरे में हैं।

मालगाड़ियों में पटरियों के लिए तयशुदा भार से अधिक वजन होता है। इससे पटरियों में तेज़ी से टूट–फूट होती है। दूसरे देशों में जहां सुपरफास्ट रेलगाड़ियां चलाई जाती हैं, उनके लिए अलग नई पटरियां बिछाई जाती हैं। हमारे देश में रेल चालकों की यूनियनों की शिकायत है कि उन्हें सुपरफास्ट गाड़ियों को उसी पुरानी पटरी पर तयशुदा गति से अधिक तेज़ चलाना पड़ता है। इससे जान को ज्यादा ख़तरा है।

दिसंबर 2022 में संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले चार सालों में भारतीय रेल में रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने के 1129 मामले हुए हैं! इनमें से अधिकांश गाड़ियों के पटरी से उतरने की ख़बर मीडिया में नहीं आती, क्योंकि इनमें मालगाड़ी शामिल होती हैं। हालांकि, इन मामलों में भी संबंधित रेलकर्मी ही मारे जाते हैं या घायल होते हैं और सार्वजनिक संपत्ति को बेहिसाब नुकसान पहुंचता है।

रेलवे के कई पुल जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं जिनका न तो ठीक से रखरखाव किया जाता है और न ही नवीनीकरण किया जाता है। इस तरह के पुलों के गिरने से पहले भी बड़े हादसे हो चुके हैं। रेल पुलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है।

2019–2020 की सी.ए.जी. की रिपोर्ट में कहा गया है कि सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा 1,14,000 करोड़ रुपये आवंटित करने की आवश्यकता है। सरकार ने ऐसा करने में लापरवाही की है।

रेलवे यूनियनों ने बताया है कि भारतीय रेल में 3,12,000 पद खाली हैं। इसमें सुरक्षा श्रेणी के लाखों खाली पद शामिल हैं। वहीं, रेलगाड़ियों की संख्या में लगातार इज़ाफ़ा हो रहा है। जिससे मौजूदा कर्मचारियों पर भारी दबाव पड़ रहा है। जिससे रेल चालकों और रेल गार्डों, स्टेशन मास्टरों, सिग्नलिंग इंजीनियरों के साथ–साथ पटरियों का रखरखाव करने वालों पर दबाव पड़ रहा है, जिन्हें भारतीय रेल की पटरियों की देखरेख करनी होती है।

अधिकांश सवारी गाड़ियों की हालत इतनी ख़राब है कि जो लोग इन दिनों अन्य प्रकार के यातायात साधनों का खर्च उठा सकते हैं, वे भारतीय रेल का उपयोग नहीं करते है। इसके बावजूद रोज़ाना करीब 2 करोड़ लोग इन रेलगाड़ियों से सफ़र करते हैं। जिनमें से बहुत से दैनिक यात्री हैं। दिन–ब–दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं।

कोविड के बाद कई रेलगाड़ियों को या तो बंद कर दिया गया है या साधारण नॉन एसी, नॉन रिज़र्व बोगियों में भारी कटौती कर दी गई है। इसका परिणाम यह दिखता है कि भीड़भाड़ बढ़ गई है, यात्री दरवाज़ों के बाहर या दो बोगियों के बीच में लटककर यात्रा कर रहे हैं। हाल ही में ओडिशा में हुई दुर्घटना में अनारक्षित बोगियों में क्षमता से कहीं अधिक यात्री सवार थे। यही कारण है कि बड़ी संख्या में हुई मौतों और चोटों की रिपोर्टें आई हैं।

खाली पदों को भरे जाने से इंकार किये जाने से सुरक्षा प्रभावित हो रही है

रेलवे यूनियनों ने बताया है कि भारतीय रेल में 3,12,000 पद खाली हैं। इसमें सुरक्षा श्रेणी के लाखों खाली पद शामिल हैं। वहीं, रेलगाड़ियों की संख्या में लगातार इज़ाफ़ा हो रहा है। जिससे मौजूदा कर्मचारियों पर भारी दबाव पड़ रहा है। जिससे रेल चालकों और रेल गार्डों, स्टेशन मास्टरों, सिग्नलिंग इंजीनियरों के साथ–साथ पटरियों का रखरखाव करने वालों पर दबाव पड़ रहा है, जिन्हें भारतीय रेल की पटरियों की देखरेख करनी होती है।

रेल चालक और गार्ड को बिना आराम किए दिन में 14–16 घंटे काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन और रेल कर्मचारियों की अन्य यूनियनों की लगातार मांगों के बावजूद रेल मंत्रालय ने पर्याप्त संख्या में रेल चालकों के भर्ती नहीं की है।

नियमों के मुताबिक एक रेल चालक को लगातार काम करने के लिए अधिकतम 12 घंटे की सीमा निर्धारित है। यह नियम अपने आप में अमानवीय है। यहां तक कि इन अमानवीय घंटों को नियमित रूप से बढ़ाया जा रहा है, जिससे रेल चालकों के स्वास्थ्य और रेलगाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों और अन्य रेल कर्मचारियों की सुरक्षा ख़तरे में पड़ रही है। रेलगाड़ियों में सफ़र करने वालों के लिए यह बेहद ख़तरनाक है। एक रेल चालक को हर किमी पर एक सिग्नल मिलता है, जो गति के हिसाब से हर एक या दो मिनट में एक सिग्नल होता है। उसे उसी हिसाब से रेलगाड़ी को नियंत्रित करना होता है। रेलवे के कई ज़ोनों में रेल चालकों की कमी का हवाला देकर मौजूद रेल चालकों को निर्धारित ड्यूटी के घंटों से ज्यादा समय तक ड्यूटी पर रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उदाहरण के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में रेल चालक औसतन 16 घंटे लगातार ड्यूटी कर रहे हैं!

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में हिन्दोस्तान में रेल दुर्घटनाओं में 2,60,000 लोग मारे गए हैं। 2020 में कोविड–19 के कारण लगाये गये लॉकडाउन के दौरान रेलगाड़ियों की चपेट में आकर मारे गये 8,700 लोग इसमें शामिल नहीं हैं।

बड़ी रेल दुर्घटनाओं की संख्या पिछले वर्ष के 35 की तुलना में 2022–2023 में बढ़कर 48 हो गई है। बड़ी रेल दुर्घटनाएं वे हैं जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जैसे जीवन की हानि, मानव चोट, संपत्ति की क्षति और रेल यातायात में रुकावट।

रेलगाड़ियों के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने में पटरियों का रखरखाव करने वाले (ट्रैक मेंटेनर) बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय रेल में पटरियों का रखरखाव करने के लिए आवश्यक 4 लाख ट्रैक मेंटेनरों में से केवल दो लाख ही काम पर मौजूद हैं। वे अपनी जान जोख़िम में डालकर बेहद कठिन परिस्थितियों में काम करने को मजबूर हैं। इनमें से बहुत से ठेके पर हैं। रेल मंत्रालय ने आवश्यक संख्या में ट्रैक मेंटेनरों को काम पर रखने या काम करने की सुरक्षित स्थिति सुनिश्चित करने पर पैसा ख़र्च करने से इनकार किया है।

यह चौंकाने वाला है, लेकिन सच है कि हर दिन औसतन 2–3 ट्रैक मेंटेनर काम के दौरान मर जाते हैं, जिनकी संख्या हर साल सैकड़ों की में होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन पर काम का अधिक बोझ होता है और साथ–साथ स्टाफ की कमी होती है और उन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं।

महत्वपूर्ण पुर्जों की आउटसोर्सिंग

भारतीय रेल के निजीकरण के अभियान के हिस्से के रूप में, रेल मंत्रालय निजी कंपनियों को महत्वपूर्ण पुर्जों की आपूर्ति को आउटसोर्स कर रहा है। इनमें कोचों और वैगनों के एक्सल शामिल हैं जो ट्रेनों के सुरक्षित संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं। निजी ऑपरेटरों द्वारा आपूर्ति किए गए एक्सल की गुणवता ख़राब होने के कई उदाहरण सामने आए हैं।

बी.पी.ए.सी. सिस्टम, जिसे मैसूर मामले में दोषपूर्ण पाया गया था, रेलवे को जिसकी आपूर्ति कई निजी कंपनियों द्वारा की जाती है।

निष्कर्ष

रेल कर्मचारियों की यूनियनों के साथ–साथ मज़दूर वर्ग के अन्य संगठन, बार–बार रेल यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपायों की आवश्यकता की ओर इशारा करते रहे हैं। लेकिन सरकारों ने लगातार इन ज़रूरतों को पूरा करने से इनकार किया है। बालासोर की त्रासदी इस आपराधिक उपेक्षा का एक परिणाम है।

रेल हादसों के लिए रेल कर्मचारियों को दोष देना सभी सरकारों की आदत रही है। इस तरह वे यात्रा करने वाली जनता को रेल कर्मचारियों के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश करते हैं।

हाल ही में हुए दर्दनाक हादसे के पीछे संभावित साज़िश की जांच की बात करके सरकार समस्या की जड़ से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है।

समस्या का मूल कारण यह है कि राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों सहित पूरी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी मुनाफ़ों को अधिकतम करने के लिए तैयार है, लेकिन लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं। निजीकरण, आउटसोर्सिंग और लाभ को ज्यादा से ज्यादा करने के परिणामस्वरूप, भारतीय रेल कर्मचारियों की भारी कमी, रखरखाव और सुरक्षा उपायों की उपेक्षा से ग्रस्त है।

http://hindi.cgpi.org/23690

कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का प्रकाशन

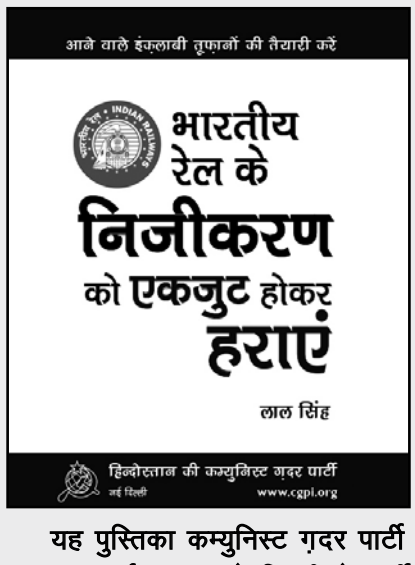

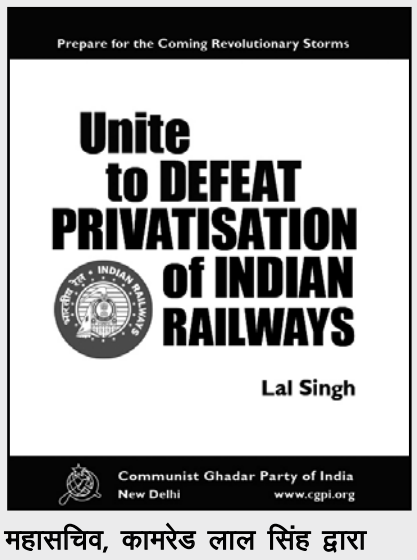

यह पुस्तिका कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव, कामरेड लाल सिंह द्वारा 13 मई, 2018 को दिल्ली में पार्टी की एक सभा में प्रस्तुत की गई थी।
इस पुस्तिका को मंगाने के लिये संपर्क करें : 9868811998, 9810167911

अमरीकी डॉलर की दादागिरी

इस वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में चीन द्वारा संयुक्त अरब–अमीरात (यू.ए.ई.) से ख़रीदे गए 65,000 टन तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) के भुगतान के लिए चीन की मुद्रा युआन का उपयोग किया गया था। सऊदी अरब ने अपने तेल का कुछ हिस्सा, युआन मुद्रा में चीन को निर्यात करने में रुचि दिखाई है। सऊदी अरब ने केन्या की तेल कंपनियों को तेल के भुगतान के रूप में केन्या की मुद्रा (करेंसी) केन्याई–शिलिंग को स्वीकार करने के लिए केन्या की सरकार के साथ एक समझौते पर भी बातचीत की है। ये सौदे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमरीकी डॉलर के अलावा अन्य मुद्राओं का इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति का हिस्सा हैं, जिसमें हिन्दोस्तान और चीन द्वारा रूसी तेल की ख़रीद भी शामिल है।

ये व्यापार सौदे इसलिये महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पिछले पांच दशकों से दुनिया के देशों में सभी प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री, केवल अमरीकी डॉलर में की जाती रही है। वास्तव में, यूरोप, जो कि दुनिया में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक है, जहां पर पेट्रोलियम का 85 प्रतिशत आयात अभी भी अमरीकी डॉलर में ही होता है।

गौरतलब है कि अमरीकी डॉलर के अलावा, अन्य मुद्राओं में पेट्रोलियम व्यापार करने के पहले के प्रयासों का अमरीका द्वारा हिंसक विरोध किया गया था। इराक ने अक्तूबर 2000 में यह घोषणा की थी कि वह यूरोप को अपना तेल यूरो मुद्रा में बेचेगा। अमरीका ने तभी से इराक पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी थी।

अमरीका ने एक कहानी गढ़ी कि इराक के पास सामूहिक विनाश के हथियार हैं। यह एक ऐसा दावा था जिसकी पुष्टि संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष निरीक्षकों द्वारा भी नहीं की गई थी, जिन्हें इस दावे की जांच करने के लिए ही इराक भेजा गया था। 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी भी निर्णय के बिना, अमरीका और उसके मित्रों ने इराक पर आक्रमण करके, इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को गिरफ़्तार किया और बाद में दिसंबर 2006 में उनकी हत्या कर दी। इसी तरह 2008 में लीबिया पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद, अमरीका और उसके सहयोगियों ने लीबिया पर आक्रमण किया और लीबिया के नेता गद्दाफी की हत्या कर दी। लीबिया की सरकार अपने डॉलर खातों के संचालन में अमरीका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को किसी तरह टालने का प्रयास कर रही थी। लीबिया की सरकार ने अपने तेल को सोने से समर्थित एक मुद्रा में बेचने की योजना बनाई थी। झूठे बहानों के तहत अमरीका और उसके मित्र राष्ट्रों के नेतृत्व में की गई सैन्य कार्रवाइयों के ज़रिये इराक और लीबिया दोनों देशों को बुरी तरह तबाह किया गया। परन्तु सैन्य हमले शुरू करने का असली कारण यह सुनिश्चित करना था कि अमरीकी डॉलर में तेल व्यापार जारी रहे ताकि अमरीकी डॉलर की, आरक्षित मुद्रा (रिज़र्व करंसी) की स्थिति को बरकरार रखने के रास्ते में कोई चुनौती न पैदा हो सके।

रिज़र्व मुद्रा का अर्थ है कि यह मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है। इसका मतलब है कि व्यापार के सौदे उसी मुद्रा में किए जाते हैं और अधिकांश सरकारें अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से आयात करने के लिए उसी मुद्रा का भंडार रखती हैं।

अमरीकी डॉलर के विश्व की रिज़र्व मुद्रा होने से, अमरीका को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। सबसे पहला फ़ायदा यह है कि अमरीका उन देशों से सस्ता क़र्ज़ पाने में सक्षम होता है जो आयात के मुक़ाबले ज्यादा निर्यात करते हैं और जिनके पास बेशी (सरप्लस) अमरीकी डॉलर होते हैं और जिन्हें वे अमरीकी ट्रेजरी बांड में निवेश करते हैं। दूसरा फ़ायदा यह होता है कि अमरीका को उच्च घरेलू मुद्रास्फीति का सामना किए बिना, बड़ी संख्या में डॉलर छापने की छूट मिल जाती है क्योंकि इन डॉलरों का एक बड़ा हिस्सा अमरीका के भीतर नहीं रहता है – अमरीकी डॉलर का व्यापक रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उपयोग किया जाता है, व्यापारिक लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए बड़ी संख्या में उनकी आवश्यकता होती है। इस प्रकार, अमरीका को एक बड़े व्यापार–घाटे को बनाये रखने की सुविधा प्राप्त हो जाती है; अमरीका को आयात करने के लिए, जितना चाहिए उतने डालरों को छापने की छूट मिल जाती है क्योंकि विश्व बाज़ार में डॉलर की हमेशा मांग रहती है। इस तरह, सस्ते विदेशी क़र्ज़ का उपयोग करके और अधिक डॉलर छापकर, टैक्स राजस्व से कहीं अधिक सरकारी व्यय के साथ, अमरीकी राज्य एक भारी बजट घाटे के बावजूद, बिना उच्च घरेलू मुद्रास्फीति के अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने में सक्षम है। इस प्रकार अमरीकी सरकार इस डॉलर क़र्ज़ के बलबूते पर अपने सैन्य बलों को मजबूत करने के लिये मनचाहा खर्चा करने में सक्षम है। वह बड़ी ढांचागत और अन्य परियोजनाओं को भी वित्तपोषित करता है, जिससे उसे अपनी अर्थव्यवस्था को और अधिक विकसित रखने में मदद मिलती है।

झूठे बहानों के तहत अमरीका और उसके मित्र राष्ट्रों के नेतृत्व में की गई सैन्य कार्रवाइयों के ज़रिये इराक और लीबिया दोनों देशों को बुरी तरह तबाह किया गया। परन्तु सैन्य हमले शुरू करने का असली कारण यह सुनिश्चित करना था कि अमरीकी डॉलर में तेल व्यापार जारी रहे ताकि अमरीकी डॉलर की, रिज़र्व मुद्रा की स्थिति को बरकरार रखने के रास्ते में कोई चुनौती न पैदा हो सके।

इसीलिये, अमरीका हर क़ीमत पर अमरीकी डॉलर को दुनिया की रिज़र्व करंसी के रूप में क़ायम रखना चाहता है। डॉलर के आधिपत्य को दी गयी किसी भी चुनौती का मुक़ाबला करने के लिए, अमरीका ने सैन्य हस्तक्षेप का सहारा लिया है।

अमरीकी डॉलर दुनिया की रिज़र्व मुद्रा कैसे बना?

20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों तक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये मुद्रा के रूप में सोने को स्वीकार किया जाता था। सभी प्रमुख साम्राज्यवादी शक्तियों की मुद्राएं सोने से जुड़ी हुई थीं। 1914 में हुये प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में, सोने के सबसे बड़े भंडार वाले शीर्ष पांच देश थे – रूस, फ्रांस, अमरीका, जर्मनी और ब्रिटेन।

युद्ध में शामिल कई यूरोपीय देशों को अमरीका से हथियारों को ख़रीदने के लिए भारी मात्रा में सोने को भौतिक रूप से स्थानांतरित करना पड़ा। इस प्रकार 1913 में, अमरीकी फेडरल रिज़र्व (अमरीकी रिज़र्व बैंक) और कोष (ट्रेज़री) में सोने का भंडार, 431 मीट्रिक टन से बढ़कर 1918 में 3,675 मीट्रिक टन हो गया। यह अमरीकी राज्य के सोने के भंडार में 8.5 गुना वृद्धि थी। नतीजतन, अमरीका दुनिया में सोने का सबसे बड़ा धारक बन गया। पूरी दुनिया के सोने के भंडार में उसका हिस्सा (यानी कि दुनिया के सभी देशों द्वारा रखे गए सारे सोने के भंडार का कुल मिलाकर अमरीका का हिस्सा) युद्ध के पहले के लगभग 5 प्रतिशत से बढ़कर युद्ध के बाद लगभग 37 प्रतिशत हो गया। युद्ध के परिणामस्वरूप जहां यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमज़ोर हुईं, वहीं अमरीकी अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में यह प्रक्रिया फिर दोहराई गयी क्योंकि अमरीका द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे अंत में उसमें शामिल हुआ था और उसका बहुत कम नुक़सान हुआ था। इस तरह अमरीका की अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत हुई और 1941 में इसका सोने का भंडार बढ़कर 20,206 मीट्रिक टन हो गया, जो कि दुनिया की सभी सरकारों के पास मौजूद सोने के भंडार का 80 प्रतिशत था।

अमरीकी डॉलर के विश्व की रिज़र्व मुद्रा होने से, अमरीका को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। सबसे पहला फ़ायदा यह है कि अमरीका उन देशों से सस्ता क़र्ज़ पाने में सक्षम होता है जो आयात के मुक़ाबले ज्यादा निर्यात करते हैं और जिनके पास बेशी (सरप्लस) अमरीकी डॉलर होते हैं और जिन्हें वे अमरीकी ट्रेजरी बांड में निवेश करते हैं। दूसरा फ़ायदा यह होता है कि अमरीका को उच्च घरेलू मुद्रास्फीति का सामना किए बिना, बड़ी संख्या में डॉलर छापने की छूट मिल जाती है क्योंकि इन डॉलरों का एक बड़ा हिस्सा अमरीका के भीतर नहीं रहता है

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ... बड़े पैमाने पर होने वाले सैन्य ख़र्च को वित्तपोषित करने के लिए, अमरीकी राजकोष ने बड़ी संख्या में डॉलरों की छपाई शुरू कर दी। ... इस प्रकार सोने के मूल्य की तुलना में अमरीकी डॉलर का वास्तविक मूल्य गिरना शुरू हो गया, जबकि ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत डॉलर, उसी दर पर सोने से जुड़ा रहा। 1960 के दशक में फ्रांसीसी सरकार से शुरू करके, कई सरकारों ने अपने डॉलर के भंडार के बदले अमरीका से सोने की मांग शुरू कर दी। ... 1970 तक अमरीकी सोने का भंडार, 1941 में अपनी चरम सीमा की तुलना में आधे से भी कम हो गया था। ... अमरीकी राष्ट्रपति अगस्त 1971 में एक हुक्मनामा जारी करके यह घोषणा की कि अमरीकी डॉलर अब सोने में परिवर्तनीय नहीं होगा।

1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में, 44 देशों के प्रतिनिधियों ने अमरीका के न्यू हैम्पशायर राज्य के ब्रेटन वुड्स में मुलाक़ात की। सम्मेलन का उद्देश्य था युद्ध के बाद आर्थिक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की व्यवस्था पर एक समझौता करना। सम्मेलन में भाग लेने वालों ने इसके समापन पर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बनाने का समझौता किया, जो कि विश्व बैंक प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) का हिस्सा है। चूंकि सभी यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं युद्ध के कारण बर्बाद हो गई थीं और उनकी मुद्राओं का बहुत अवमूल्यन हुआ था, इसलिए यह सहमति हुई थी कि अन्य देशों की मुद्राओं को अमरीकी डॉलर से जोड़ा जाएगा, जबकि अमरीकी डॉलर को सोने से जोड़ा जायेगा (1 ट्रॉय औंस = 31.1035 ग्राम = 35 अमरीकी डॉलर)। इस प्रकार, विश्व की अधिकांश मुद्रायें अमरीकी डॉलर के ज़रिये स्वर्ण मानक से जुड़ी हुई थीं। ब्रेटन वुड्स समझौते के अनुसार, सभी देश जब चाहें अपने डॉलरों को सोने में बदलने की मांग कर सकते थे। इस प्रकार अमरीकी डॉलर विश्व की रिज़र्व मुद्रा बन गया। अगले कुछ दशकों में अमरीकी डॉलर ने ब्रिटिश पाउंड को विस्थापित कर दिया और वैश्विक व्यापार, तेज़ी से अमरीकी डॉलर में किया जाने लगा।

स्वर्ण मानक का उन्मूलन

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, अमरीका ने बड़े पैमाने पर सैन्य विस्तार किया तथा अपने बुनियादी ढांचे और अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर भारी खर्च किया जिससे उसकी अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे बढ़ी, जिसकी वजह से अमरीका सबसे बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में उभरा। उसने यूरोप और अन्य सभी महाद्वीपों में अपने सैन्य अड्डे स्थापित किए। उसने कोरिया और वियतनाम में युद्ध छेड़ा और दर्जनों देशों में सैन्य हस्तक्षेप किया। बड़े पैमाने पर होने वाले इस सैन्य खर्च को वित्तपोषित करने के लिए, अमरीकी राजकोष ने बड़ी संख्या में डॉलरों की छपाई शुरू कर दी। इस सैन्य ख़र्च से इजारेदार अमरीकी पूंजीपतियों को गारंटीशुदा मुनाफ़ा मिला, लेकिन इस खर्च से लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने वाला उत्पादन नहीं हुआ। इस प्रकार सोने के मूल्य की तुलना में अमरीकी डॉलर का वास्तविक मूल्य गिरना शुरू हो गया, जबकि ब्रेटन वुड्स समझौते

शेष पृष्ठ 7 पर

अमरीकी साम्राज्यवाद की आप्रवासन नीति :

अमरीका–मैक्सिको की सीमा पर आप्रवासियों पर आपराधिक हमले

पिछले दशकों में मैक्सिको सीमा के पार से आए आप्रवासियों को अमरीकी साम्राज्यवादियों ने गुलाम मज़दूर माना है। अमरीका की आबादी का लगभग 7 प्रतिशत दक्षिण अमरीका से आये हुये आप्रवासी हैं। दक्षिण अमरीका विभिन्न देशों जैसे कि ग्वाटेमाला, होंडूरास और अल–सल्वाडोर के साथ–साथ मैक्सिको और अन्य देशों के लोग अमरीका में प्रवेश करने की उम्मीद के साथ सीमा पर इकट्ठा होते हैं। उनके देशों में मौजूद ग़रीबी, हिंसा और ढेर सारी अन्य समस्याएं, उन्हें अमरीकी सीमा की ओर धकेल रही हैं।

ये आप्रवासी अमरीकी अर्थव्यवस्था में साफ़–सफ़ाई, निर्माण और अन्य आवश्यक सेवाओं जैसे विभिन्न व्यवसायों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उन्हें लगातार देश से निकाल दिए जाने की धमकी बार–बार दी जाती रहती है। अमरीकी राज्य द्वारा लगातार प्रचार किया जाता है कि वे अमरीकी मज़दूरों की नौकरियां "छीन" रहे हैं। वे आप्रवासी उग्र नस्लवादी हमलों और सामाजिक पराधीनता का सामना करने के लिए विवश हैं। देश निकाला के ख़तरे का सामना करते हुये और नए वातावरण में अपने–आपको व्यवस्थित करने का संघर्ष कर रहे, पूंजीपतियों द्वारा उन आप्रवासियों का अत्याधिक शोषण किया जाता है। उन्हें आधिकारिक न्यूनतम मज़दूरी से बहुत कम वेतन दिया जाता है और उनकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होती। वे बहुत ही ख़राब पस्थितियों में इस उम्मीद के साथ रहते हैं कि एक न एक दिन तो उन्हें अमरीकी नागरिक के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा।

इस वक़्त अमरीका–मैक्सिको की सीमा पर तनाव बढ़ गया है। 12 मई को 'टाइटल 42' नामक क़ानून ख़त्म हो गया। सन 2020 के मार्च में पारित किये गये इस क़ानून ने अमरीकी सीमा के अधिकारियों को अमरीका में कोविड के प्रसार को रोकने के नाम पर मैक्सिको की सीमा से अमरीका में प्रवेश करने और शरण मांगने वाले किसी भी व्यक्ति को वापस भेजने की अनुमति दी थी। हालांकि अमरीकी सरकार ने एक साल से भी अधिक समय पहले ही कोविड आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी, फिर भी इस क़ानून को लागू रखा गया है। व्यापक रूप से यह ज्ञात है कि सीमा पर संभावित आप्रवासियों पर हमला करने के लिए ट्रम्प सरकार ने उस क़ानून को लागू किया था। इसी उद्देश्य के साथ बाइडन सरकार ने भी उस क़ानून को जारी रखा है।

बाइडन सरकार सीमा पर संभावित आप्रवासियों पर हमला करने के लिए अब और भी सख़्त क़ानून बना रही है। शरण मांगने के जिन लोगों के आवेदन नामंजूर कर दिए गए हैं, वे अगले पांच साल की अवधि के लिए फिर से आवेदन नहीं कर पाएंगे। मैक्सिको के अलावा अन्य देशों के संभावित आप्रवासियों ने अगर अमरीका आने के रास्ते में किसी अन्य देश में शरण मांगने के लिए आवेदन किया था तो उन्हें यह साबित करना होगा कि उनके आवेदन को नामंजूर कर दिया गया था। नहीं तो अमरीका में शरण मांगने का उनका आवेदन नामंजूर कर दिया जाएगा और उन्हें उनके गृह देश में भेज दिया जाएगा।

दसों हजार आप्रवासी इस उम्मीद से अमरीकी सीमा पर इकट्ठा हो गए हैं कि टाइटल 42 क़ानून के ख़त्म होने पर सीमा को पार करने का उनका रास्ता आसान हो जाएगा। अधिकांश लोगों को वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया गया है। अमरीकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (सी.बी.पी.) ने हाल के दिनों में अपने कारावास शिविरों में 28,000 आप्रवासियों को रखा है, जो कि इसकी घोषित क्षमता से कहीं अधिक है। आप्रवासियों को उचित भोजन, पीने का पानी, स्वास्थ्य देखभाल और साफ़–सफ़ाई के बिना सबसे अमानवीय परिस्थितियों में इन शिविरों में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। वे एक बेहद अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं।

अमरीका लगातार यह प्रचार करता है कि विभिन्न देशों के लोग अपने देशों की तुलना में अमरीका में बेहतर जीवन जीने की उम्मीद से अपने घरों और परिवारों को छोड़कर यहां आने को बेताब हैं। उसका यह प्रचार, ऐसी स्थिति पैदा करने में अमरीका की उस भूमिका को छुपाता है जिसकी वजह से लोग अपना घर–बार छोड़ने को मजबूर हुए हैं। अमरीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मध्य और दक्षिण अमरीका के अनेक देशों में शासन करने वाले प्रतिक्रियावादी पूंजीपति वर्ग के साथ मिलीभगत करके, इन देशों के लोगों की भूमि, श्रम और प्राकृतिक संसाधनों का बर्बरतापूर्वक शोषण करती हैं। इन कंपनियों ने लोगों को ग़रीबी और बर्बादी की ओर धकेला है। अमरीका ने कुछ देशों पर अमानवीय प्रतिबंध लगाए हैं क्योंकि इन देशों की सरकारों ने अमरीकी दबदबे को मानने से इनकार किया है। कुछ देशों में अमरीकी समर्थक सत्ताओं को लाने के उद्देश्य से उसने वहां पर गृहयुद्ध छेड़े हैं।

सबसे पहले तो अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा फैलाई गई तबाही के कारण लोगों को अपने देशों से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शरण मांगने वाले आप्रवासियों पर अमरीका द्वारा किये जा रहे आपराधिक हमलों के लिए उसकी निंदा की जानी चाहिए।

http://hindi.cgpi.org/23643

अमरीकी डॉलर की दादागिरी

पृष्ठ 6 का शेष

के तहत डॉलर, उसी दर पर सोने से जुड़ा रहा। कई देशों को समझ में आया कि क्या हो रहा था। 1960 के दशक में फ्रांसीसी सरकार से शुरू करके, कई सरकारों ने अपने डॉलर के भंडार के बदले, अमरीका से सोने की मांग शुरू कर दी।

1970 तक अमरीकी सोने का भंडार, 1941 में अपनी चरम सीमा की तुलना में आधे से भी कम हो गया था जो कि दुनिया के सोने के कुल भंडार का 25 प्रतिशत से भी कम हिस्सा था। अमरीकी सरकार ने महसूस किया कि डॉलर को सोने में बदलने की मांग को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त सोना नहीं होगा। अमरीकी राष्ट्रपति ने 15 अगस्त, 1971 को एक हुक्मनामा जारी करके यह घोषणा की कि अमरीकी डॉलर अब सोने में परिवर्तनीय नहीं होगा।

1971 में सोने से अलग होने के बाद, अमरीकी डॉलर के आधिपत्य को बनाए रखने के लिए, अमरीका ने सऊदी अरब में राजशाही पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सऊदी अरब का तेल केवल अमरीकी डॉलर में ही बेचा जाए। अमरीका ने अरब के लोगों के क्रोध से सऊदी अरब के अलोकप्रिय शासकों का बचाव किया। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) में सऊदी अरब का दबदबा था। सऊदी के शासकों ने ओपेक में अपनी स्थिति का फ़ायदा उठाकर यह सुनिश्चित किया कि तेल का कारोबार अमरीकी डॉलर में ही हो। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिली कि अमरीकी डॉलर की मांग उतनी ही बनी रहेगी क्योंकि तेल को ख़रीदने में सक्षम होने के लिए, देशों को डॉलर के भंडार को बनाए रखने की आवश्यकता होगी। तेल का व्यापार केवल अमरीकी डॉलर में ही करने के लिए, अमरीका के साथ सऊदी अरब की सहमति ने अमरीकी डॉलर के प्रभुत्व को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, भले ही डॉलर अब सोने से जुड़ा नहीं है।

अमरीका उन देशों, जो उसके हुक्म का पालन नहीं करते हैं, उनके ख़िलाफ़ अमरीकी डॉलरों का इस्तेमाल हथियार के रूप में इसलिये कर पाता है, क्योंकि अमरीकी डॉलर को दुनिया में रिज़र्व मुद्रा का दर्ज़ा प्राप्त है।

बतौर हथियार अमरीकी डॉलर का इस्तेमाल

अमरीका उन देशों, जो उसके हुक्म का पालन नहीं करते हैं, उनके ख़िलाफ़ अमरीकी डॉलरों का इस्तेमाल हथियार के रूप में इसलिये कर पाता है, क्योंकि अमरीकी डॉलर को दुनिया में रिज़र्व मुद्रा का दर्ज़ा प्राप्त है। उदाहरण के लिए, उत्तर कोरिया, वेनेजुएला, क्यूबा और ईरान जैसे देश इस समय अमरीका द्वारा लगाये गए आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अमरीकी डॉलर की दादागिरी और अमरीकी सैन्य ताक़त के कारण, अमरीका ये प्रतिबंध लगाने में समर्थ है। जब अमरीका ईरान पर प्रतिबंध लगाता है, तो हक़ीक़त में इसका मतलब यह होता है कि वह सभी देशों पर ईरान के साथ व्यापार न करने का दबाव डालता है। यदि कोई देश प्रतिबंधित देश के साथ व्यापार करना जारी रखता है तो उस देश पर या कम से कम, व्यापार करने वाली कंपनी पर, दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। दंडात्मक कार्रवाई के रूप में हो सकता है कि वह देश अपनी वस्तुओं और सेवाओं को अमरीका या उसके सहयोगियों को निर्यात न कर सके या उसके डॉलर–खातों को फ्रीज़ कर दिया जाए, या उसे स्विफ्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन की सुविधा देने वाले संस्थानों का उपयोग करके धन हस्तांतरित करने पर रोक लगाई जाये, आदि – इन तरीकों से उस देश या उस कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गतिविधियों से लाभ उठाने से रोका जा सके।

निष्कर्ष

जिन तरीक़ों से इस समय अमरीकी दादागीरी का विरोध किया जा रहा है, उनमें से एक है, डी–डॉलराइजेशन – यानी, अमरीकी डॉलर के अलावा अन्य मुद्राओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अन्य वित्तीय लेनदेन को विकसित करने के लिए क़दम लेना। चीन, रूस और हिन्दोस्तान सहित कई देश, अमरीकी डॉलर के अलावा अन्य मुद्राओं में आयात और निर्यात करने के लिए द्विपक्षीय समझौते कर रहे हैं। कई देश ऐसे द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंच तैयार करने के लिए एक साथ आ रहे हैं जिन पर अमरीकी साम्राज्यवाद का वर्चस्व नहीं है। कई देश, आगे आने वाले एक गंभीर वैश्विक आर्थिक संकट की संभावनाओं से खुद को बचाने के लिए अपने सोने के भंडार को बढ़ा रहे हैं।

दूसरी ओर अमरीकी साम्राज्यवाद, अमरीकी डॉलर के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए अपनी पूरी ताक़त लगा रहा है। वह अर्थव्यवस्थाओं और देशों को नष्ट करने के लिए आर्थिक हथियारों के साथ–साथ सैन्य हस्तक्षेप करने के लिये भी तैयार है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अमरीकी डॉलर के वर्चस्व को कोई आंच न आये।

http://hindi.cgpi.org/23687

मज़दूर एकता लहर (इंटरनेट संस्करण)

हिन्दी : hindi.cgpi.org, **अंग्रेजी** : www.cgpi.org, **मराठी** : marathi.cgpi.org
पंजाबी : punjabi.cgpi.org, **तामिल** : tamil.cgpi.org
ई मेल : mazdoorektalehar@gmail.com, Ph.09868811998, 09810167911

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23

LICENSED TO POST WITHOUT PRE-PAYMENT U (SE)-38/2022-23

Posting Date at DLPSO, 16 & 17 June, 2023, Date of publish - 16 June, 2023

To .....
.....
.....
.....
.....
.....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक– मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020
email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें :
ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp
9868811998

हरियाणा सरकार किसानों की मांगों के आगे झुकी

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट

13 जून, 2023 को हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों की सूरजमुखी के बीज के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) देने, गिरफ़्तार किसानों की रिहाई सहित अन्य मांगों को मान लिया है। इसी के साथ सूरजमुखी फ़सल की एम.एस.पी. को लेकर, 6 जून से चल रहा आंदोलन उसी दिन शाम को ख़त्म हो गया।

विदित है कि हरियाणा के किसान लंबे समय से सूरजमुखी के बीज पर समर्थन मूल्य 6,400 रुपए प्रति कुंटल के भाव सहित, सभी फ़सलों पर एम.एस.पी. की मांग कर रहे थे। सरकार किसानों की इन मांगों को अनसुना कर रही थी। किसानों ने 6 जून, 2023 को कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) की अगुवाई में दिल्ली–अमृतसर रोड पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। हरियाणा सरकार ने जायज़

मांगों को सुनने के बजाय, दमन का रास्ता अपनाया। किसानों पर लाठी चार्ज किया। लगभग 35 किसानों को गंभीर चोटें आई थीं और किसानों सहित, उनके नेताओं को धारा 307 के तहत गिरफ़्तार कर लिया गया।

सरकार के द्वारा किसानों के प्रदर्शन पर इस बर्बर लाठीचार्ज के विरोध में किसान संगठनों ने 12 जून, 2023 को कुरुक्षेत्र स्थित पिपली अनाज मंडी में विशाल पंचायत बुलाई। इसमें 50 हजार से ज्यादा किसान शामिल हुए। इसमें पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान से किसान ट्रेक्टर, जीप, बस, कार, बाइक से शामिल हुए। पंचायत में किसान संगठनों ने हरियाणा सरकार के इस बर्बर हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने मांग की कि सरकार अपने दमनकारी क़दम को रोके, सभी गिरफ़्तार व्यक्तियों को बिना शर्त रिहा करे, घायल प्रदर्शनकारियों को मुआवज़ा दे और किसानों को सूरजमुखी के बीज की फ़सल के लिए एम.एस.पी. सुनिश्चित करें।

इसके बाद, हजारों किसानों ने अपने झंडे और बैनरों के साथ राष्ट्रीय मार्ग को जाम दिया।

http://hindi.cgpi.org/23692

भयानक रेल हादसा :

सैकड़ों ज़िंदगियों का दुःखद अंत

2 जून की शाम को ओडिशा राज्य में बालासोर के पास दो यात्री रेलगाड़ियों और एक मालगाड़ी की टक्कर में 280 से अधिक लोग मारे गए और 900 से अधिक घायल हो गए।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी उन लोगों के परिवारों और दोस्तों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती है, जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, या गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

पिछले 20 सालों में यह देश की सबसे भीषण रेल त्रासदी है।

कोलकाता से चेन्नई के बीच चलने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस क़रीब 130 किमी/घंटा की रफ़्तार से शुक्रवार की शाम क़रीब सात बजे एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई, जिसके कारण वह पटरी से उतर गई। फिर उसी मालगाड़ी के डिब्बे, हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के दो डिब्बों से टकरा गए, जो बगल के ट्रैक पर विपरीत दिशा में जा रही थी और बेंगलुरु से आते हुए कोलकाता जा रही थी।

सरकार ने रेल दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया है। रेल मंत्री ने घोषणा की है कि वह दुर्घटना के "मूल कारण" को जानते हैं, लेकिन जांच समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ही इसका खुलासा करेंगे।

अतीत में जब भी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, तो अधिकारी तुरंत उसका दोष भारतीय रेल के कर्मचारियों – रेल चालकों, ट्रैक अनुरक्षकों (गैंगमैनों), स्टेशन मास्टरों आदि के कंधों पर डालते रहे हैं। वे जीवन और सार्वजनिक संपत्ति के टाले जा सकने वाले नुक़सान के मुख्य कारणों को छुपाते रहे हैं।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का दृढ़ विश्वास है कि जिस दुर्घटना ने इतने लोगों की क़ीमती जान ली है, उसे पूरी तरह से टाला जा सकता था। दशकों से भारतीय रेल द्वारा, रेल सुरक्षा की उपेक्षा की गई है। सत्ताधारी पूंजीपति वर्ग ने दिखा दिया है कि उसे रेलगाड़ी से सफ़र करने वाले मेहनतकश लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है। रेलगाड़ियों से यात्रा करने वाले करोड़ों मज़दूर और अन्य मेहनतकश लोग जोख़िम में हैं और अक्सर वे कष्ट सहते हैं।

रेलवे में तीन लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। रेलगाड़ियों के सुरक्षित संचालन के लिए आवश्यक हजारों महत्वपूर्ण पद वर्षों से खाली पड़े हैं। सुरक्षित संचालन के लिए आवश्यक धन ख़र्च नहीं किया जाता।

अधिकारियों द्वारा सुरक्षा की पूरी तरह से उपेक्षा को लेकर रेलवे मज़दूरों की यूनियनें लगातार अपनी चिंता प्रकट करती रही हैं, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंगी है। इसलिए सैकड़ों लोगों की मौत और सैकड़ों लोगों के घायल होने के लिए, रेलवे अधिकारी और केंद्र सरकार पूरी तरह से ज़िम्मेदार हैं। ओडिशा में हुई इस भयानक रेल दुर्घटना के लिये, जिसने सैकड़ों लोगों की जान ले ली है, उसके लिए रेलवे अधिकारियों और केंद्र सरकार को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

http://hindi.cgpi.org/23683

मणिपुर में क्या समस्या है और इसे कौन पैदा कर रहा है?

पृष्ठ 2 का शेष

दावा करते हैं। दोनों मिलजुलकर, अफ़ीम की खेती, नशीली दवाओं की तस्करी और म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार से तस्करी, आदि को अंजाम देते हैं। वे परजीवियों की तरह लोगों का खून चूसते हैं और अपनी–अपनी तिजौरियां भरते हैं। मणिपुर में चुनकर आई सरकारें केंद्रीय राज्य की देखरेख में, विभिन्न सशस्त्र गिरोहों के साथ नज़दीकी से मिलजुलकर काम करती हैं। यह सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा हद तक पता होने लगा है।

अब वहां सैनिक शासन को जायज़ ठहराने के लिए एक नया कारण दिया जा रहा है। लोगों को एक–दूसरे का जनसंहार करने से रोकने के नाम पर, सैनिक शासन को जायज़ ठहराया जा रहा है।

1990 के दशक से, हिन्दोस्तानी हुक्मरान वर्ग "पूर्व की ओर देखो" की नीति को अपना रहा है। यह चीन के साथ स्पर्धा में, दक्षिण–पूर्व एशिया में हिन्दोस्तानी साम्राज्यवादी प्रभाव का विस्तार करने के उद्देश्य से बनाई गयी एक नीति है। हिन्दोस्तान से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक सड़क और रेल मार्ग बनाने की योजना है, जो मणिपुर और म्यांमार से होकर गुजरेगा। हिन्दोस्तानी हुक्मरान वर्ग को मणिपुर के लोगों को अपने अधीन रखने के लिए, वहां सैनिक शासन और आफ़स्पा को जारी रखने का एक नया बहाना देने की ज़रूरत है।

आगे बढ़ने का रास्ता

मणिपुर के लोगों के लिए आगे का रास्ता अपनी एकता को बनाये रखना और अपने सांझे संघर्ष की हिफ़ाज़त करना तथा उसे मजबूत करना है। हुक्मरान वर्ग की पैशाचिक साज़िशों को नाक़ामयाब करना होगा। वर्तमान स्थिति में देश की सभी लोकतांत्रिक और प्रगतिशील ताक़तों को यह मांग करनी चाहिए कि मणिपुर पर सैनिक क़ब्ज़े और सभी प्रकार के राजकीय आतंकवाद को फ़ौरन रोक दिया जाए।

मणिपुर के लोगों का, अपने मानवीय, लोकतांत्रिक और राष्ट्रीय अधिकारों की हिफ़ाज़त के लिए एकजुट संघर्ष करने का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हजारों देशभक्त शहीद हुए हैं। फिर भी मणिपुरी लोगों ने अपना जायज़ संघर्ष कभी नहीं रोका है।

सरमायदारों की हुक्मशाही के मौजूदा राज्य से पीड़ित सभी लोगों को एकजुट होकर, इसकी जगह पर मज़दूरों और किसानों की हुकूमत के नए राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से संघर्ष करना होगा। दमनकारी उपनिवेशवादी रूप के हिन्दोस्तानी संघ को यहां बसे हुए सभी राष्ट्रों, राष्ट्रीयताओं और लोगों के एक स्वैच्छिक संघ के रूप में पुनः स्थापित करना होगा। हिन्दोस्तानी संघ और उसके घटकों के बीच संबंध यहां बसे हुए सभी लोगों के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देने और सुनिश्चित करने पर आधारित होना चाहिए।

राजनीतिक व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है, ताकि लोगों में संप्रभुता निहित हो। वर्तमान की बेहद अपराधी राजनीतिक प्रक्रिया को ख़त्म करके, एक नई राजनीतिक प्रक्रिया स्थापित करनी होगी, जिसमें लोग अपने चुने गए प्रतिनिधियों पर नियंत्रण कर सकेंगे और खुद अपने हित में फ़ैसले ले सकेंगे। अपने हाथ में राजनीतिक सत्ता के साथ, मज़दूर, किसान और अन्य मेहनतकश लोग पूंजीवादी लालच को पूरा करने के बजाय, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकेंगे।

http://hindi.cgpi.org/23662